[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या–37 एच०एल०ए०

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय, (संशोधन) विधेयक, 2025

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। — संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (क) से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :– — 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 2 का संशोधन।

'(iक) ''प्रशासक'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 44ख या धारा 46 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अथवा पांच व्यक्तियों से अनाधिक से मिलकर बनने वाली कोई समिति।'।

3. मूल अधिनियम की धारा 34क की उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– — 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 34क का संशोधन।

"(3) विश्वविद्यालय, सरकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना छात्रों का प्रथम नामांकन प्रारम्भ नहीं करेगा।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 34ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– — 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 34ख का प्रतिस्थापन।

''34ख. पाठ्यक्रम रद्द करने की शक्ति.– सरकार, यदि इसकी संतुष्टि हो जाती है कि विश्वविद्यालय इस पर अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने की स्थिति में नहीं है, तो यह ऐसी जांच करने के बाद, जो ठीक समझे, अध्ययन पाठ्क्रम या कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमति रद्द कर सकती है।''।

5. मूल अधिनियम की 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– — 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 44 का प्रतिस्थापन।

''44. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने तथा शैक्षणिक तथा प्रशासकीय लेखा–परीक्षा करने की शक्ति.– (1) सरकार, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अध्यापन, परीक्षा तथा अनुसंधान या किसी अन्य मामले के मानकों का अभिनिशचन करने के प्रयोजन के लिए किए जाने वाले निर्धारण करवा सकती है।

(2) सरकार, किसी विश्वविद्याल में उच्चतर शिक्षा के विभिन्न स्तरों की गुणवता को अभिनिश्चित तथा सुनिश्चित करने और इन्हें सतत् बनाए रखने हेतु उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा या इस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य निकाय या व्यक्तियों के माध्यम से वार्षिक शैक्षिक तथा प्रशासकीय लेखा–परीक्षा का संचालन करेगी, जो संविक्षा करेगी कि क्या विश्वविद्यालय इस अधिनियम, परिनियमों, अंध्यादेशों, नियमों, उपविधियों के उपबन्धों, अनुदेशों तथा आशय पत्र की शर्तों का अनुपालन कर रहा है तथा के अनुसार कार्य कर रहा है।

(3) ऐसे व्यक्ति या निकाय, विशिष्ट सिफारिशों तथा कमियों, यदि पाई गई हों, के साथ सरकार को तीन मास के भीतर अपनी रिपोर्ट देंगे। सरकार रिपोर्ट पर विचार करेगी और कुलाधिपति/प्रायोजक निकाय को पंद्रह दिन का कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है कि क्यों न धारा 44क की उपधारा (1) में यथा उपबंधित एक या एक से अधिक शास्तियां अधिरोपित की जाएं।

(4) उपधारा (3) में वर्णित कारण बताओ नोटिस के जवाब, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, सरकार को कारण बताओ नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति होगी।"।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 44क का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 44क के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"44क. शास्तियां.– (1) विश्वविद्यालय पर कुशासन, मिथ्या सूचना के लिए और मानकों को न बनाए रखने के लिए निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा सकती हैं, अर्थात्:–

(i) एक या एक से अधिक संकायों में प्रवेश रोकना;

(ii) न्यूनतम दस लाख रुपए और अधिकतम एक करोड़ रुपए की वित्तीय शास्ति;

(iii) विश्वविद्यालय का चरणबद्ध रीति में विघटन।

(2) जहां उपधारा (1) के खण्ड (i) या (ii) के अधीन शास्ति अधिरोपित की जाती है और तीस दिन के भीतर सुधारत्मक कार्रवाई नहीं की जाती है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाई जाती है, तो सरकार किसी अतिरिक्त नोटिस के बिना उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन शास्ति के अधिरोपण का उपाय कर सकती है।

44ख. चरणबद्ध विघटन के लिए प्रक्रिया.– (1) जहां धारा 44क की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन विश्वविद्यालय को विघटित करने का निर्णय लिया जाता है, तो सरकार विश्वविद्यालय के प्रधिकरणों को विघटित करेगी और ऐसे चरणबद्ध विघटन के दौरान विश्वविद्यालय के मामलों का पर्यवेक्षण, प्रबन्धन और विनियमित करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करेगी।

(2) प्रशासक को सभी शक्तियां होंगी और इस अधिनियम के अधीन शासकीय निकाय और प्रबन्धन बोर्ड के सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होंगी।

(3) प्रशासक की नियुक्ति पर, विश्वविद्यालय की सभी आस्तियां और संपत्तियां प्रशासक की नियुक्ति की तिथि से उसमें निहित होंगी और वह उन पर सम्पूर्ण नियंत्रण और प्रबन्धन का प्रयोग करेगा।

(4) प्रशासक, विश्वविद्यालय की आय/चल आस्तियों से दिन प्रतिदिन के खर्च पूरे करेगा। आय/चल आस्तियों की अपर्याप्तता के मामले में, प्रशासक को, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और आस्तियों का निपटान करने की शक्ति होगी।

(5) सरकार, यदि आवश्यक समझे, किसी भी समय इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक को दुसरे प्रशासक की नियुक्ति करके बदल सकती है तथा इस प्रकार नियुक्त प्रशासक, अपनी नियुक्ति की तिथि से इस अधिनियम के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग तथा सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(6) जहां प्रशासक, वस्तुनिष्ठ सामग्री के आधार पर और लिखित में कारणों को लिपिबद्ध करते हुए समझता है कि किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में नये प्रवेश करना लोकहित में अथवा शैक्षणिक निरंतरता या छात्र कल्याण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हैं, तो वह सरकार को सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है और सरकार, लिखित में कारणों को लिपिबद्ध करके अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों के उपबन्धों और लागू विनियामक मानदण्डों की अनुपालना के अध्यधीन ऐसे प्रवेशों का अनुमोदन कर सकती है।

(7) इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक तब तक विश्वविद्यालय के मामलों का संचालन करता रहेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों का अंतिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को पूरा नहीं करते और उपाधियां, डिप्लोमा या पुरस्कार, जैसी भी स्थिति हो, प्रदान नहीं कर दिए जाते और उसके बाद सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(8) उपधारा (7) के अधीन रिपोर्ट प्राप्ति पर, सरकार अनुसूची से संबंधित विश्वविद्यालय का लोप करते हुए उसमें संशोधन करेगी तथा ऐसे संशोधन की तिथि से विश्वविद्यालय की सभी आस्तियां और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित होंगे:

परन्तु उपधारा (7) के अधीन प्रदान की गई उपाधियों या डिप्लोमा या पुरस्कार, केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होंगे कि विश्वविद्यालय का विघटन कर दिया गया है।"।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 46 का प्रतिस्थापन।

7. (1) मूल अधिनियम की धारा 46 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"46. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियाँ.– (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार को यह प्रतीत होता है कि–

(क) विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या नियमों के किसी भी उपबन्ध की उल्लंघना की है, अथवा इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा जारी किसी निर्देश का उल्लंघन किया है; या

(ख) विश्वविद्यालय धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अधिकथित किसी अपेक्षा या शर्तों की अनुपालना करने में विफल हो गया है; या

(ग) विश्वविद्यालय वित्तीय कुप्रबन्धन, कुशासन, शैक्षणिक समझौतों, विनियामक उल्लंघनों या शासन विफलताओं में शामिल है; या

(घ) किसी भी कार्य, चूक, भूल, अनियमितता, दुर्व्यवहार या प्रधिकार का दुरूपयोग किया है, जो विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली की अखंडता या मानकों को गम्भीर रूप से प्रभावित करते हैं; या

(ङ) राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक सुरक्षा, कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों सहित कोई गम्भीर भूल, विधिविरूद्ध या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों (भारत की प्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाले कृत्यों सहित किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं) के लिए विश्वविद्यालय परिसरों का उपयोग या दुरूपयोग हुआ है या लोक हित के प्रतिकूल कोई अन्य गम्भीर कार्य हुए हैं, तो सरकार, उपरोक्त यथा वर्णित किसी भी ऐसे कार्यों, उल्लंघन या भूल की जांच करवाने का आदेश दे सकती है और इस प्रयोजन के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर सकती है या पांच से अनाधिक व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली समिति नियुक्त कर सकती है।

(2) इस प्रकार नियुक्त जांच अधिकारी या गठित समिति द्वारा जांच की जाएगी और ऐसी नियुक्ति/गठन की तिथि से तीस दिन के भीतर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(3) जांच अधिकारी या समिति को वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन सिविल न्यायलय में निहित हैं, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) ऐसे किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री, जिस का साक्ष्य में अनुमान लगाया जा सकता है, का अन्वेषण करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायलय 2या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना; तथा

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाए।

(4) इस अधिनियम के अधीन जांच करने वाले जांच अधिकारी या समिति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 215 और अध्याय XXVIII के प्रयोजनों हेतु किसी सिविल न्यायालय के रूप में समझा जाएगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन जांच अधिकारी या समिति से जांच रिपार्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है कि विश्वविद्यालय ने उपधारा (1) में वर्णित किसी भी उपबन्ध की उल्लंघना की है, तो यह कुलाधिपति, कुलपति, कुल–सचिव और प्रायोजक निकाय को सात दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करेगी कि क्यों न धारा 14 के खण्ड (1) के अधीन वर्णित कुलाध्यक्ष को छोड़कर धारा 14, 16, 17, 18, 18क, 19, 20, 21, 24 तथा 29 के अधीन प्राधिकरणों के कृत्य और शक्तियां उक्त प्राधिकरणों को विघटित करके प्रशासक को प्रदान कर दी जाएं।

(6) सात दिन की उक्त अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस के जवाब, यदि कोई हो, पर विचार करने पर, और यदि सरकार, प्राप्त किए गए जबाब, यदि कोई हो, से सन्तुष्ट नहीं है, प्रशासक नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार नियुक्त प्रशासक का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि, जो सरकार बढ़ाना उचित समझे, के लिए होगा, इस दौरान धारा 14 के खण्ड (1) के अधीन वर्णित कुलाध्यक्ष को छोड़कर धारा 14, 16, 17, 18, 18क, 19, 20, 21, 24 तथा 29 के अधीन अनुध्यात सभी प्राधिकरण कृत्य करना बन्द कर देंगे। प्रशासक, सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कृत्य करेगा।

(7) प्रशासक अपने कार्यकाल या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के दौरान उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) के अधीन अनुध्यात उल्लंघनों के निवारण को दर्शाने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के भीतर आने वाले कार्यों के मामले में, सामान्य स्थिति बहाल करने बारे सरकार को संन्तुष्ट करने के लिए प्रशासक द्वारा समरूप रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाएगी।

(8) उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले कार्यों के मामले में, उपधारा (7) के अधीन यथा अनुध्यात रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है, तो यह प्रशासक को हटा देगी और धारा 14 के

खण्ड (1) के अधीन वर्णित कुलाध्यक्ष को छोड़कर धारा 14, 16, 17, 18, 18क, 19, 20, 21, 24 तथा 29 के अधीन नए प्राधिकरणों का गठन करेगी।

(9) उपधारा (1) खण्ड (ङ) के अधीन आने वाले कार्यों के मामले में, केवल सरकार ही होगी, जो प्रायोजक निकाय का अपवर्जन करते हुए धारा 14 के खण्ड (1) के अधीन वर्णित कुलाध्यक्ष को छोड़कर धारा 14, 16, 17, 18, 18क, 19, 20, 21, 24 तथा 29 के अधीन अनुध्यात सभी प्राधिकरणों का गठन करेगी तथा निरन्तर गठन करेगी तथा प्राधिकरणों की सभी आस्तियां, दायित्व, कृत्य, शक्तियां और जिम्मेवारियां इस प्रकार नियुक्त किए गए संबंधित प्राधिकरणों में निहित होंगी।

(10) जहां सरकार द्वारा इस धारा के अधीन प्रशासक को नियुक्त करने का निर्णय लिया जाता है, तो वह धारा 44ख की उपधारा (2) से (7) के उपबन्धों के अनुसार कृत्य करेगा।"।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 26 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"27. डिजाइन, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय — जिला गुरुग्राम।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 एवं समय–समय पर किए गए संशोधनों की विभिन्न धाराओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि धारा 34ए, 34बी, 44, 44ए तथा 46 की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु संशोधन आवश्यक है।

यह देखा गया है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने धारा 34ए की उप–धारा (3) का दुरुपयोग करते हुए सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना ही नए पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए, मौजूदा प्रवेश क्षमता बढ़ा दी तथा पाठ्यक्रमों का नामकरण बदल दिया है। इसलिए इस धारा में संशोधन आवश्यक है।

धारा 44 और 44ए में विश्वविद्यालय के विघटन और प्रशासक की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। अतः इसमें संशोधन किया जाना आवश्यक है और विश्वविद्यालय के विघटन और प्रशासक की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए संशोधन द्वारा नई धारा 44बी को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 46 के प्रावधानों को भी सुव्यवस्थित किया जाना आवश्यक है, ताकि जनहित में उनका विस्तार हो सके और उन्हें बेहतर ढंग से स्पष्ट किया जा सके।

राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु जिला गुरुग्राम में ''डिजाइन, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय'' स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।

अतः बिल प्रस्तुत है ।

महीपाल ढांडा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 17 दिसम्बर, 2025

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 का उद्धरण (10 मई 2012 तक संशोधित)

परिभाषाएं।

2 (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का मतलब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केंद्रीय अधिनियम 52) के तहत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् है;

पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति

34ए (3) विश्वविद्यालय सरकार की विशिष्ट अनुमति के बिना विद्यार्थियों का प्रथम नामांकन शुरू नहीं करेगी। किसी भी परिस्थिति में, अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र 120 दिनों से अधिक लंबित नहीं रखा जाएगा, जिसके बाद यह मान लिया जाएगा कि पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम शुरू करने के लिए सरकार की सहमति मिल गई है।

34बी पाठ्यक्रम रद्द करने की शक्तिः– यदि सरकार को लगता है कि विश्वविद्यालय सौंपे गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को कुशलता से निर्वाह करने की स्थिति में नहीं है, तो वह, नियमों के अनुसार जांच करने के बाद, पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति रद्द कर सकती है।

सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां और शैक्षणिक एवं प्राशासनिक ऑडिट।

44 (1) सरकार, मामले में बताए गए तरीकों से, अध्ययन, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों या विश्वविद्यालय से जुड़े किसी अन्य का पता लगाने के उद्देश्य से आकलन कर सकती है।

(2) सरकार किसी विश्वविद्यालय में उच्चतर शिक्षा के अलग–अलग स्तरों पर गुणवता का पता लगाने और उसे स्थायी करने एवं उसे लगातार बनाए रखने के लिए, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य निकाय या व्यक्तियों के माध्यम से वार्षिक शैक्षणिक एवं प्राशासनिक ऑडिट करवाएगी, जो यह जांच करेगा कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम, विधानों, अध्यादेशों, नियमों, उप–नियमों, निर्देशों और आश्य पत्र में अनुरूप की शर्तों के अनुसार काम कर रही है या नहीं।

(3) ऐसे व्यक्ति या निकाय तीन महीने के अंदर अपनी विशिष्ट सिफारिशें और यदि कोई कमी पाई जाती है, तो उसका वर्णन करते हुए सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे। सरकार रिपोर्ट पर विचार करेगी और कुलाधिपति को तीस दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करेगी कि पाई गई कमियों के लिए विश्वविद्यालय के विरूद्ध कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

(4) कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद, सरकार को इस अधिनियम के तहत सजा पारित करने का अधिकार होगा।

44ए विश्वविद्यालय पर कदाचार, मिथ्या प्रचार एवं मानकों को बनाए न रखने के लिए निम्नलिखित दंड लगाए जा सकते हैं:–

(i) एक या अधिक संकायों में दाखिले को रोकना।

(ii) न्यूनतम दस लाख रुपये और अधिकतम एक करोड़ रुपये तक का आर्थिक दंड।

(iii) विश्वविद्यालय का क्रमिक रूप से विघटन।

बशर्ते कि ऐसा कोई जुर्माना तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस न दिया गया हो।

कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां।

46 (1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम, परिनियमों अध्यादेशों या नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा जारी किसी निर्देश का उल्लंघन किया है, या धारा 5 की उप–धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित किसी भी आवश्यकता अथवा शर्त का पालन करना बंद कर दिया है, या वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कुप्रशासन में संलिप्त है, तो वह विश्वविद्यालय को एक नोटिस जारी करेगी, जिसमें यह अपेक्षा की जाएगी कि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर कारण बताए कि राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय को विघटित क्यों न किया जाए।

(2) उप–धारा (1) के अंतर्गत जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में विश्वविद्यालय से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के पश्चात यदि सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या नियमों के सभी या किसी उपबंध के उल्लंघन का, अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत जारी निर्देशों के उल्लंघन का, अथवा धारा 5 की उप–धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं और शर्तों का पालन न किए जाने का, अथवा वित्तीय कुप्रबंधन या कुप्रशासन का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो वह ऐसी जाँच का आदेश देगी जैसा वह आवश्यक समझे।

(3) सरकार उप–धारा (2) के अंतर्गत किसी भी जाँच के प्रयोजन के लिए एक या अधिक जाँच अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, जो आरोपों की जाँच करेंगे और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(4) उप–धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त जाँच अधिकारी या अधिकारीगण को, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5)

के अंतर्गत किसी वाद की सुनवाई करते समय दीवानी न्यायालय में निहित शक्तियों के समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी, विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में, अर्थातः—

(क) किसी व्यक्ति को समन जारी करना तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) साक्ष्य के रूप में अपेक्षित किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की माँग करना; तथा

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय जो विनिर्दिष्ट किया जाए।

(5) इस अधिनियम के अंतर्गत जाँच करने वाले जाँच अधिकारी या अधिकारीगण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 195 तथा अध्याय ग्ग्टप् के प्रयोजनों के लिए दीवानी न्यायालय माना जाएगा।

(6) उप–धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से प्राप्त जाँच रिपोर्ट पर, यदि सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या नियमों के सभी या किसी उपबंध का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अंतर्गत जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है, या धारा 5 की उप–धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं और शर्तों का पालन करना बंद कर दिया है, या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंधन एवं कुप्रशासन की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानकों को खतरा उत्पन्न होता है, तो वह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियो को भंग कर देगी और एक प्रशासक नियुक्त करेगी।

(7) उप–धारा (6) के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अंतर्गत शासी निकाय और प्रबंधन बोर्ड की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह उनके सभी कर्तव्यों के अधीन होगा तथा विश्वविद्यालय के कार्यों का प्रशासन तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के अंतिम बैच के छात्रों ने अपने पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिए हों और उन्हें डिग्रियाँ, डिप्लोमा या पुरस्कार, यथास्थिति, प्रदान न कर दिए गए हों।

(7ए) प्रशासक विश्वविद्यालय की आय / संपत्तियों से दैनिक व्यय का वहन करेगा। यदि यह पर्याप्त न हों, तो प्रशासक सरकार की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय की संपत्तियों और परिसंपत्तियों के निपटान की शक्तियाँ रखेगा।

(8) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैच को डिग्रियाँ, डिप्लोमा या पुरस्कार, यथास्थिति, प्रदान किए जाने के पश्चात प्रशासक इस आशय की एक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(9) उप–धारा (8) के अंतर्गत प्राप्त रिपोर्ट पर, सरकार धारा 6 के अंतर्गत अनुसूची में संशोधन करेगी और संबंधित विश्वविद्यालय का नाम उसमें से हटा देगी, तथा ऐसे संशोधन की तिथि से विश्वविद्यालय की समस्त संपत्तियाँ और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे ।

यह कि उप–धारा (8) के अंतर्गत प्रदान की गई डिग्रियाँ, डिप्लोमा या पुरस्कार केवल इस आधार पर अवैध नहीं माने जाएंगे कि विश्वविद्यालय को विघटित कर दिया गया है।

अनुसूची

(देखिए धारा 6)

6. धारा 5 की उप–धारा (2) के तहत प्रस्तुत रिर्पाट पर विचार करने के बाद, संतुष्ट होने पर सरकार, प्रायोजित निकाय ने राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्धारा, धारा 5 की उप–धारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन किया है। अनुसूची में निर्देश किये जा सकने वाले ऐसे नाम, स्थान, अधिकार क्षेत्र के साथ और ऐसे बुनियादी ढांचे के साथ एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करे। विश्वविद्यालय की स्थापना।

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	स्थान
1	ओ. पी. जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालय, गांव जगदीशपुर (अब डीम्ड विश्वविद्यालय) यूजीसी की यादी अधिसूचना संख्या एल.ई.जी. 11/2020 के तहत यादी 2020 की हरियाणा अधिनियम संख्या 10 दिनांक 04.05.2020 के तहत	जिला सोनीपत
2	द नॉर्थकैप विश्वविद्यालय	जिला गुरूग्राम
3	एमिटी विश्वविद्यालय	गांव ग्वालियर, पचंगांव (नजदीक मानेसर) जिला गुरूग्राम
4	एपीजे सत्य विश्वविद्यालय	जिला गुरूग्राम
5	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय	जिला अम्बाला
6	एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय	जिला कैथल
7	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय	जिला रोहतक
8	एम.वी.एन. विश्वविद्यालय	जिला पलवल
9	सुशांत विश्वविद्यालय	जिला गुरूग्राम
10	श्री गुरू गोविन्द सिंह त्रि. शताब्दी विश्वविद्यालय	जिला गुरूग्राम

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	स्थान
11	जगन नाथ विश्वविद्यालय	जिला बहादुरगढ़
12	जी.डी. गोयन्का विश्वविद्यालय	जिला गुरूग्राम
13	के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय	जिला गुरूग्राम
14	एस.आर.एम. विश्वविद्यालय	जिला सोनीपत
15	अशोका विश्वविद्यालय	जिला सोनीपत
16	अल–फलाह विश्वविद्यालय	जिला फरीदाबाद
17	बी.एम.एल. मुंजाल विश्वविद्यालय	जिला गुरूग्राम
18	मानव रचना विश्वविद्यालय	जिला फरीदाबाद
19	पी.डी.एम. विश्वविद्यालय	जिला झज्जर
20	स्टारैक्स विश्वविद्यालय	जिला गुरूग्राम
21	विश्व डिजाइन विश्वविद्यालय	जिला सोनीपत
22	आई0आई0एल0एम0 विश्वविद्यालय	जिला गुरूग्राम
23	ओम स्ट्रलिंग ग्लोबल विश्वविद्यालय	जिला हिसार
24	ऋषिहुड विश्वविद्यालय	जिला सोनीपत
25	गीता विश्वविद्यालय	जिला पानीपत
26	संस्कारम् विश्वविद्यालय	जिला झज्जर ।

12294—H.V.S.—H.G.P., Pkl.